आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–178 / 2022
त्रिलोकी नाथ निराला
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत वाद समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–57 / 2021–22 में दिनांक–15.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के आदेशनुसार के आलोक में अपर अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर के द्वारा दिनांक 09.06.2020 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई, जाँच मे जन वितरण प्रणाली विक्रेता के भंडार में माह जून 2020 का खाद्यान्न के अतिरिक्त गेहूँ 8.20 क्विण्टल तथा चावल 23 क्विण्टल अधिक पाये जाने, दुकान से सम्मत उपभोक्ताओं द्वारा अन्त्योदय खाद्यान्न का मूल्य अधिक लिये जाने के साथ–साथ कार्यालय ज्ञापांक 124 / आ0 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा जाँच क्रम में दुकान बंद पाये जाने एवं अनुपस्थित रहने संबंधी कारण –पृच्छा का जवाब नहीं प्रस्तुत किये जाने संबंधी बरती गयी अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर के कार्यालय ज्ञापांक 1003 दिनांक 16.07.2020 से	

WEB COPY NOT OFFICIAL

कारण–पृच्छा किया गया, जिसका जवाब विक्रेता द्वारा दिनांक 05.08.2020 को उपस्थित होकर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता के जवाब से असंतुष्ट होकर अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर ने अपने आदेश ज्ञापांक 1063 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 10239/2020 दायर किया, जिसमें दिनांक 18.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने अपने मुखर आदेश दिनांक 15.07.2022 से पुनरीक्षणकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जाँच कि निर्धारित तिथि को समय पर दुकान खुली थी एवं बोर्ड पर वांछित सूचनाएं भी अंकित था। दिनांक 12.07.2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे विक्रेता की तबियत अचानक खराब हो गई, जिस संबंध में उन्होंने सूचना पट्ट पर अंकित कर चिकित्सक से दिखाने चले गये थे, जिस कारण इनके दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। दिनांक 09.06.2020 को हुए जाँच के क्रम में जाँचकर्ता ने इनके दुकान से संबंधित कागजात लेकर चले गये थे, जिस कारण दिनांक 13.07.2020 को हुए जाँच में अपने दुकान से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया जा सका। इनका दावा है कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपना जवाब समर्पित कर दिया था, प्राप्तकर्ता द्वारा खाद्यान्न लेने के संबंध में वितरण पंजी में अपना लघु हस्ताक्षर एंव तिथि अंकित किया गया है। सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया की जाँचकर्ता का प्रतिवेदन गलत है क्योंकि उनके भंडार में गेहूँ नहीं बल्कि चावल था। जिन उपभोक्ताओं का पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध शिकायत की बात की गई है उनके द्वारा (उपभोक्ता) इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। साथ ही इनका यह भी दावा है कि निम्न न्यायालय में इनके स्पष्टीकरण पर विचार किये बगैर अपना आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर ने पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण करते हुए उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया है एवं समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की कार्रवाई की गयी है तथा निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता द्वारा अपील दायर किये जाने पर निम्न न्यायालय द्वारा अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता की अपील अस्वीकृत की गयी है जिससे प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जाँच की तिथि दिनांक 06.11.2019 को दुकान बंद रहने के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता ने खुद को चिकित्सक से इलाज कराने हेतु जाने की बात कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त तिथि को उनकी दुकान बंद थी। **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016** नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** दुकान बंद पया जाना अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है, और न ही उक्त प्रावधान के आलोक में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ने विषम परिस्थिती में उपलब्ध नहीं रहने पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को

WEB COPY NOT OFFICIAL

दुकान निर्धारित अवधि में खोलने की व्यवस्था की है। जहाँ तक शिकायतकर्ता (उपभोक्ताओं) के शपथ पत्र की बात है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यह उनके After thought को परिलक्षित करता है। भंडार में अधिक खाद्यान्न पाया जाना यह साबित करता है कि कालाबाजारी करने हेतु खाद्यान्न को संचित किया गया था। अब जहां तक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पुनरीक्षणवाद में किये गये इस दावे का प्रश्न है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने अनुज्ञप्तिधारक के समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्यों पर विचार किये वगैर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने का आदेश दे दिया है तो इस संबंध में निम्न न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अनुज्ञप्तिधारक से पूछे गये स्पष्टीकरण एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्यों की समीक्षा के उपरान्त पाया है कि *''संयुक्त जाँच दल (अपर अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर) के पत्रांक 812/आ0 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार, दिनांक 09.06.2020 को विक्रेता के दुकान में गेहूँ 8.20 क्विन्टल एवं चावल 23 क्विन्टल का भंडार अधिक पाया गया इससे विक्रेता इनकार नहीं कर सकते है। विक्रेता की दुकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं से लिये गये बयान के क्रमांक 07 एवं क्रमांक 08 पर अंकित उपभोक्ता (धनपति देवी एवं सविता देवी) के द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने की शिकायत की गई है। विक्रेता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वितीय कारण–पृच्छा के प्रसंग में समर्पित जवाब में अंकित किया गया है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रथम कारण–पृच्छा के प्रसंग में उनके द्वारा जवाब समर्पित किया गया। प्राप्तकर्ता के द्वारा अपना लघु हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित किया गया। विक्रेता के द्वारा प्राप्तकर्ता का नाम एवं अन्य विवरणी अंकित नहीं की गई है, जिससे उनका जवाब अस्पष्ट एवं अमान्य हो जाता है।''* इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस पुनरीक्षणवाद में जो दावा किया गया है उसका खंडन निम्न न्यायालय द्वारा किया जा

WEB COPY NOT OFFICIAL

	चुका है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL